03-06/24

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित।
TDR बाली से मौका रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल पत्रावली हो चुकी है। बहस वकुलाय सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखाया गया। आदेश प्रति TDR बाली व समस्त संबंधित को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी, बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2024/49
दायरा तिथि : 25.01.2024
आदेश तिथि : 03-06-2024

प्रार्थी :–

श्री भंवरसिंह पुत्र करनसिंह राणावत जाति निवासी सेणा तहसील बाली जिला पाली (राज.)

व ना म

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश
दिनांक: 03-06-2024

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम जीवदा(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सेणा तहसील बाली के खसरा नंबर 569 रकबा 0.1200 हैक्टर व खसरा नंबर 570 रकबा 0.3700 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम जीवदा(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सेणा तहसील बाली के खसरा नंबर 423 रकबा 0.3200 हैक्टर, खसरा नंबर 423/596 रकबा 0.3400 हैक्टर, खसरा नंबर 560 रकबा 0.4300 हैक्टर, खसरा नंबर 561 रकबा 1.0100 हैक्टर, खसरा नंबर 563 रकबा 0.3400 हैक्टर व खसरा नंबर 568 रकबा 0.2100 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ. निरीक्षक,बिसलपुर ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2024/148 दिनांक 01.05.2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक बिसलपुर की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि आवेदक खातेदार की भूमि में आवागमन के लिए प्रस्तावित रास्ता खसरा नंबर 426, 423/596, 560, 561, 563 व 568 के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। अतः उपरोक्त खसरा नंबरो से नजदीकी रास्ता दिया जाना उचित है। अन्य नजदीकी रास्ता नहीं है।
2. यह है कि ग्राम जीवदा(बाहरी क्षेत्र) में रास्ते हेतू प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	423	0.3200 हैक्टर	बारानी सोयम	60X9=540 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
2	423/596	0.3400 हैक्टर	बारानी सोयम	24X9=216 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
3	560	0.4300 हैक्टर	गै.मु. भाखर	16X9=144 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
4	561	1.0100 हैक्टर	बारानी सोयम	112X9=1008 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
5	563	0.3400 हैक्टर	बारानी सोयम	72X9=648 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
6	568	0.2100 हैक्टर	बारानी सोयम	70X9=630 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड़ अधिकारी,बाली

पेज लगातार..............02

Scanned with CamScanner

3. यह कि प्रस्तावित भूमि ग्राम जीवदा(बाहरी क्षेत्र) पटवारी हल्का सेणा की डी.एल.सी. दर 87,815 रू/– रूपये प्रति हैक्टर है।

4. प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण/वृक्ष नहीं है एवं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति है।

प्रकरण मे तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम जीवदा(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सेणा तहसील बाली के खसरा नंबर 569 रकबा 0.1200 हैक्टर व खसरा नंबर 570 रकबा 0.3700 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2024/148 दिनांक 01.05.2024 से नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम जीवदा(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सेणा तहसील बाली के खसरा नंबर 569 रकबा 0.1200 हैक्टर व खसरा नंबर 570 रकबा 0.3700 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम जीवदा(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सेणा तहसील बाली के खसरा नंबर 423 रकबा 0.3200 हैक्टर, खसरा नंबर 423/596 रकबा 0.3400, खसरा नंबर 560 रकबा 0.4300 हैक्टर, खसरा नंबर 561 रकबा 1.0100 हैक्टर, खसरा नंबर 563 रकबा 0.3400 हैक्टर व खसरा नंबर 568 रकबा 0.2100 हैक्टर में से 540+216+144+1008+648+630 = 3186 वर्गमीटर रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप** उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 87,815 /–रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
423	0.3200 हैक्टर	60X9=540 वर्गमीटर	9	4860 X2=9720	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
423/596	0.3400 हैक्टर	24X9=216 वर्गमीटर	9	1944 X2=3888	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
560	0.4300 हैक्टर	16X9=144 वर्गमीटर	9	1296 X2=2592	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
561	1.0100 हैक्टर	112X9=1008 वर्गमीटर	9	9072 X2=18144	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
563	0.3400 हैक्टर	72X9=648 वर्गमीटर	9	5832 X2=11664	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
568	0.2100 हैक्टर	70X9=630 वर्गमीटर	9	5670 X2=11340	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 57348/– (अक्षरे सतावन हजार तीन सौ अडतालिस रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर अप्रार्थीगण निजी खातेदार/राज्य सरकार को अदा की जायेगी। प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू–अभि. बिसलपुर द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

पेज लगातार..............03

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2024/49

अनवान भंवरसिंह बनाम सरकार

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

(दिनेश बिश्नोई)
आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

क्रमांक/कोर्ट/2024/650-654

दिनांक : 05-06-2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत गद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 बिसलपुर
3. पटवारी हल्का, सेणा
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक श्री भंवरसिंह पुत्र करनसिंह राणावत जाति निवासी सेणा तहसील बाली जिला पाली (राज.) को सूचनार्थ।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner